अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

06 03.05.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 07 /2023 राज्य बनाम रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 205/डी०सी०बी० दिनांक 24.02.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. नगड़ी थाना कांड संख्या 68/19 दिनांक 08.06.2019 धारा 394/34 भा0द0वि० 2. रातु थाना कांड संख्या 127/19 दिनांक 29.05.2019 धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी0) ए०/26/35 आर्म्स एक्ट 3. बसिया थाना (गुमला) कांड संख्या 78/2020 दिनांक 02.10. 2020 धारा 392 भा0द0वि० 4. रातु थाना सनहा सं० 22 दिनांक 01.10.2022 5. रातु थाना सनहा सं० 36 दिनांक 15.10.2022 6. रातु थाना सनहा सं० 26 दिनांक 05.12.2022 7. रातु थाना सनहा सं० 43 दिनांक 02.12.2022	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची की असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों के कारण रातु थाना अन्तर्गत जमीन कारोबारियों, व्यवसायियों एवं स्थानीय उद्यमियों के बीच भय एवं दहशत व्याप्त है। वे सहयोगियों के साथ रातु थाना एवं समीपवर्ती थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहता है तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 और अध्याय 17 के अधीन दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण में भी लगा हुआ है। रमिज राजा पे० सबीर अंसारी उर्फ बबलू अंसारी के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज विभिन्न कांड़ो से सम्बंधित अपराधिक इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया गया है। विगत तीन सप्ताह में थाना प्रभारी रातु द्वारा समर्पित सप्ताहिक गोपनीय प्रतिवेदन में इस तथ्य को अंकित किया गया है कि माननीय न्यायालय में रमिज राजा पे० सबीर असारी उर्फ बबलू अंसारी के जमानत पर मुक्त होने के बाद उनकी अपराधिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त हो रही है। वर्तमान समय में रमिज राजा पे० सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी अपने सहयोगियों के साथ रातु थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं तथा लोगों को डराने–धमकाने एवं रंगदारी वसूलने का दवाब बना रहे हैं। उक्त दुर्दान्त अपराधी की आपराधिक गतिविधियों के कारण रातु थाना क्षेत्र में आम जनता के मन में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी के विरुद्ध

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

लगाये गये सारे आरोप बिल्कुल गलत, बनावटी एवं निराधार है। विपक्षी का कहना है कि वह एक आदतन अपराधी नही है। नगड़ी थाना कांड सं० 68/2019 मे विपक्षी नामजद नही है, बल्कि उन्हे शक के आधार पर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है। रातु थाना कांड सं० 127/2019 मे भी वे नामजद नही है। उनके पास से कोई शस्त्र जप्त नही किया गया है। बसिया थाना कांड सं० 78/2020 मे भी विपक्षी संलिप्त नही है, उनके खिलाफ लगाये गये सारे आरोप बेबुनियाद है।

विपक्षी द्वारा दायर उपरोक्त कारण पृच्छा संतोषजनक नही है। उनके द्वारा अपने वचाव में दिये गये बयान तथ्यात्मक नही है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, डकैती इत्यादि के अन्तर्गत वाद दर्ज है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची पर निगरानी रखना आव यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची को दिनांक 06.05.2023 से दिनांक 05.08. 2023 तक की अवधि के लिए रातु थाना, राँची में प्रत्येक दिन को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 04.05.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 06.05. 2023 से दिनांक 05.08.2023 तक प्रत्येक दिन रातु थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

(2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति रमिज राजा पिता सबीर अंसारी उर्फ बबलू असारी निवासी फूटकल टोली, थाना रातु, जिला रॉची तथा संबंधित थाना प्रभारियो को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी

रॉची

जिला दण्डाधिकारी

रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 20:54:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9